उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 139/2023–24 दिनांक : 25.09.2023

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्‌ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती सरोजनी मनराल पत्नी श्री प्रदीप सिंह नेगी,
तीन पानी डाम, शिव सिटी वार्ड नं0 01, रूद्रपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1 विपक्षी

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती सरोजनी मनराल पत्नी श्री प्रदीप सिंह नेगी का एक शिकायती पत्र दिनांक 19.08.2023 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–892A212845195 (04 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल अत्यधिक आ रहा है जबकि उसका उक्त परिसर दिनांक 11.07.2023 से दिनांक 24.07.2023 तक बन्द था फिर भी विभाग द्वारा रू0 6903.00 का बिल जारी किया गया है जो अधिक है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत मीटर की जांच कराकर अपने विद्युत बिल (रू0 6903.00) को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 19.08.2023 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 26.08.2023 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 04.09.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 04.09.2023 व 25.09.2023 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता व श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गए।

क्रमशः 2.....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता ने अपने पत्र संख्या–3443 दिनांक 23.09.2023 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के विद्युत बीजकों में माह 06 / 2022 से रीडिंग में अनियमितता पाये जाने पर दिनांक 06.06.2022 से दिनांक 13.09.2023 तक के बिल विद्युत मापक की एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर संशोधित किए गए हैं। एमआरआई के आधार पर ओबीआर के माध्यम से 8125 रीडिंग तक संशोधित बिल को एप्रूवल हेतु उच्चाधिकारी को अग्रसारित किया गया है। उपरोक्त प्रस्तावित संशोधन के उपरांत परिवादिनी पर माह 09 / 2023 में निर्गत विद्युत बिल के सापेक्ष रू0 11692.00 की देयता बनती है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप सशोधित बिल की गणना एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी को तत्काल उपरोक्त संशोधित बिल रू0 11692.00 नियमानुसार जारी करें। विपक्षी विभाग 30 दिन के भीतर इस आदेश की अनुपालन आख्या इस मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र कुकरेती) न्यायिक सदस्य	28/09/2023 (नवीन चन्द्र तिवारी) तकनीकी सदस्य	28/09/2023 (सुभाष चन्द्र भट्ट) उपभोक्ता सदस्य